

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, [दिनांक]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14, 25 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 3, 3ए, 6, धाराओं 101बी की उप-धारा (2) और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है—

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता:

- ये विनियम “भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 20xx” कहलाएँगे।
- ये विनियम [] से प्रवृत्त होंगे।
- इन विनियमों की समीक्षा प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक इसके पूर्व किसी समीक्षा, निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता न हो।

2. उद्देश्य:

भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित संवृद्धि को बढ़ावा देना, भारत में पुनर्बीमा परिचालनों में लगी हुई संस्थाओं का नियंत्रण करनेवाले विभिन्न पहलुओं से संबंधित वर्तमान विधिक और विनियामक ढाँचे का संवर्धन और सुमेलन करना।

3. परिभाषाएँ :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- “आवेदक” से अभिप्रेत है:
 - लायड्स को छोड़कर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई कोई अन्य विदेशी संस्था;
 - लायड्स के सदस्यों की ओर से लायड्स की सोसाइटी, इसके बाद “लायड्स” के रूप में उल्लिखित;
 - सेवा कंपनियों और व्यवसायसंघों की ओर से लायड्स इंडिया।

बशर्ते कि जहाँ 'आवेदक' किसी ऐसे 'समूह' का भाग है जिसमें पहले से ही भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत कोई संस्था है, वहाँ वह इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

3. "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
4. "विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय" अथवा "विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा", जो इन विनियमों में इसके बाद प्रथमाक्षर एफआरबी के रूप में कहलाता है, से लायड्स इंडिया सहित आवेदक की शाखा अभिप्रेत है जिसे पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
5. "बोर्ड" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत है-
एफआरबी का निदेशक बोर्ड अथवा अपने आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् प्राधिकृत एफआरबी की कार्यकारी समिति;
6. "बीमाधारक" (कवरहोल्डर) से एक बाध्यकारी प्राधिकार करार की शर्तों के अनुसार पुनर्बीमा और जोखिमों के अंकन की संविदाएँ करने के लिए लायड्स प्रबंध एजेंट अथवा व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) द्वारा प्राधिकृत संस्था अभिप्रेत है।
7. "लायड्स इंडिया" से आवेदक का शाखा कार्यालय अभिप्रेत है जिसे पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।
लायड्स इंडिया के घटकों में शामिल हैं :
(क) व्यवसाय संघों के रूप में सामूहिक तौर पर बने हुए
(ख) लायड्स के सदस्य, जो लायड्स इंडिया के अंदर स्थित
(ग) सेवा कंपनियों को प्राधिकार प्रत्यायोजित करते हैं
8. "प्रबंध एजेंट" से वह कारपोरेट संस्था अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ का प्रबंध करने तथा लायड्स के सदस्यों की ओर से जोखिम-अंकन और अन्य कार्य करने के लिए अनुमति दी गई है;
9. "लायड्स इंडिया के सदस्य" से लायड्स के वे सदस्य अभिप्रेत हैं जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं;
10. "निवल स्वाधिकृत निधि" अथवा "एनओएफ" में निम्नलिखित शामिल होंगे
(क) प्रदत्त ईक्विटी पूँजी
(ख) निर्बंध आरक्षित निधियाँ
(ग) प्रतिभूति प्रीमियम खाता राशि जो निम्नलिखित के द्वारा घटाई जाती है:
(i) संचित हानियाँ,

(ii) तथा अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य

निवल स्वाधिकृत निधि की संगणना अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर की जानी चाहिए जो आवेदन की तारीख से बारह (12) महीने से अधिक पहले का न हो तथा तुलन-पत्र की तारीख के बाद जुटाई गई किसी भी पूँजी को एनओएफ की संगणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए;

11. "लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ" से अभिप्रेत है:

(क) लायड्स के प्रबंध एजेंटों अथवा लायड्स के सदस्यों के द्वारा प्रवर्तित सेवा कंपनियाँ; अथवा
(ख) भारतीय कंपनियों के द्वारा प्रवर्तित सेवा कंपनियाँ जो विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं;

12. "लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघ" से लायड्स के व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) अभिप्रेत हैं जो प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्था से युक्त सेवा कंपनी के माध्यम से लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं।

13. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं, व्यवसायसंघों तथा लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों का पंजीकरण

4. आवेदकों की पात्रता:

1. इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक नीचे विनिर्दिष्ट रूप में पात्रता के मानदंडों को पूरा करेगा:

(क) आवेदक ने प्राधिकरण के पास आवेदन फाइल करते समय स्वदेश के विनियमनकर्ता से पूर्व-अनुमोदन अथवा सिद्धांततः अनुमति प्राप्त की है।

(ख) आवेदक एक ऐसे राष्ट्रीय विनियामक परिवेश में पंजीकृत अथवा प्रमाणित होगा जिसके साथ भारत सरकार ने दोहरा कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि किसी भी समय पाँच हजार करोड़ रुपये की निर्धारित राशि से कम नहीं होगा।

- (घ) आवेदक के पास आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 3 वर्ष के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त अच्छी वित्तीय सुरक्षा विशिष्टताएँ निर्दिष्ट करनेवाली एक न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग होगी।
- (ङ) आवेदक कम से कम 10 वर्ष के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय में रह चुका होगा।
- (च) आवेदक के पास स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित रूप में शोधन-क्षमता मार्जिन होगा।
- (छ) आवेदक लायड्स इंडिया में एक सौ करोड़ रुपये की तथा अन्य स्थितियों में पचास करोड़ रुपये की न्यूनतम समनुदेशित पूँजी लगायेगा।
- (ज) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य अपेक्षा।
2. पंजीकरण के आवेदन हेतु माँग-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक पात्र होगा, बशर्ते कि आवेदक जिसका:
- पंजीकरण के आवेदन के हेतु माँग-पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र अस्वीकृत किया गया हो अथवा आवेदक के द्वारा वापस लिया गया हो; अथवा
 - पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु माँग-पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया हो अथवा आवेदक के द्वारा वापस लिया गया हो; अथवा
 - पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया हो अथवा प्रत्याहरित किया गया हो; इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण के आवेदन हेतु माँग करने के लिए पात्र नहीं होगा।
3. आवेदक जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया है, अधिनियम की धारा 2(9)(डी) में परिभाषित रूप में बीमाकर्ता होगा।
4. लायड्स, लायड्स इंडिया को स्थापित करेगा, जिसे इन विनियमों में निर्धारित तरीके से भारत में और भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय का संचालन करने हेतु बाजार और संबद्ध संरचनाएँ स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
5. व्यवसायसंघों (सिंडिकेट्स) और लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों को भी इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

5. एफआरबीएस और लायड्स इंडिया के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. पुनर्बीमा व्यवसाय की अनुमति-योग्य श्रेणियाँ:

पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणियाँ जिनके लिए पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं :

- (क) जीवन और/या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय;
(ख) साधारण और/या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय;
(ग) जीवन और/या साधारण और/या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय; अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य श्रेणियाँ।

2. आर1 आवेदन

(क) लायड्स इंडिया अथवा अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए इच्छुक आवेदक विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 में पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दस्तावेज, शपथ-पत्र, वचन-पत्र और घोषणाएँ प्रस्तुत की जाएँगी। (मास्टर परिपत्र)

(ख) प्राधिकरण अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में संगत समझे गये विषयों की जाँच करने के बाद तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि:

- i. फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 में माँग-पत्र सभी प्रकार से संपूर्ण और सही है तथा उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत हैं।
- ii. आवेदक का शाखा कार्यालय अथवा लायड्स इंडिया, जैसी स्थिति हो, पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य संचालित करेगा।
- iii. संस्था के बहिर्नियमों और संस्था के अंतर्नियमों की एक प्रमाणित प्रति अथवा तदनुसूची दस्तावेज जिसमें उसके व्यवसाय के निर्माण का तरीका और संचालन का विवरण दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है।
- iv. भारत में परिचालनों के प्रभारी के रूप में प्रस्तावित व्यक्ति का नाम, पद, पता और व्यवसाय शामिल किये गये हैं।
- v. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली समनुदेशित पूँजी लगाने के विषय में निर्दिष्ट करते हुए एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- vi. पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र फाइल करने के वर्ष से पूर्ववर्ती पिछले पाँच वर्षों के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।
- vii. मूल देश के विनियमनकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है कि पुनर्बीमाकर्ता के पास भारत में शाखा कार्यालय खोलने के लिए आवश्यक अनुमति है।
- viii. आवेदक से चुकौती का आश्वासन पत्र (लेटर आफ कम्फर्ट) जो उसके निदेशक बोर्ड अथवा प्रबंधन की कार्यकारी समिति, जैसा लागू हो, से प्राप्त संकल्प द्वारा समर्थित है कि वह हर समय शाखा कार्यालय की सभी देयताएँ पूरी करेगा, प्रस्तुत किया गया है।

- ix. इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 के प्रसंस्करण के लिए लागू करों के साथ, पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य भुगतान के समर्थन में सबूत प्रस्तुत किया गया है।
- x. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षा पूरी की जाएगी।

उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन पंजीकरण हेतु माँग-पत्र (फार्म आर1) के लिए अनुरोध को स्वीकार कर सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण इन विनियमों के अध्याय III के अनुसार पंजीकरण हेतु माँग-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

आवेदक को पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म आईआरडीएआई/आर2 ऐसे फार्मेट में जारी किया जाएगा जैसा कि उपर्युक्त अनुमोदन पत्र के साथ समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। (मास्टर परिपत्र)

(ग) आर1 अनुमोदन तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसके अंदर आवेदक विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/आर2 प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण संतुष्ट होने पर आर1 अनुमोदन की विधिमान्यता की अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकता है जैसा कि प्राधिकरण उचित समझता है।

3. आर2 आवेदन

(क) आवेदक जिसका पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया हो, भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किये जाएँगे:

- i. पचास करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक समनुदेशित पूँजी होने के साक्ष्य का दस्तावेजी प्रमाण;
बशर्ते कि लायड्स इंडिया के मामले में, समनुदेशित पूँजी इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगी।
- ii. आवेदक के निदेशक बोर्ड अथवा प्रबंधन की कार्यकारी समिति, जैसी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि समनुदेशित पूँजी की अपेक्षाएँ पूरी की गई हैं;
- iii. यह प्रमाणित करते हुए आवेदक द्वारा एक शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 6(2) की इस आशय की अपेक्षाएँ कि कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि पाँच हजार करोड़ से अधिक है, पूरी की गई हैं;

- iv. लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क का भुगतान दर्शानेवाली रसीद;
- v. एक व्यवसायी सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट) अथवा एक व्यवसायी कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाणपत्र कि समनुदेशित पूँजी और अधिनियम की अन्य अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा पालन किया गया है;
- vi. इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/आर2 के प्रसंस्करण के लिए लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत;
- vii. पंजीकरण हेतु आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(ग) प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करने के लिए एफआरबी अथवा लायड्स इंडिया के माध्यम से आवेदक के द्वारा पुनर्बीमा का व्यवसाय करने से संबंधित सभी विषयों तथा अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषयों का ध्यान रखेगा। प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि—

- i. फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 में आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तथा उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत हैं;

- ii. आवेदक विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय करेगा;

आवेदक के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार कर सकता है तथा अपने विवेकानुसार उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन “आर2” अनुमोदन जारी कर सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण इन विनियमों के अध्याय III में विद्यमान उपबंधों के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

4. पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर3) प्रदान करना:

(क) प्राधिकरण उचित समझे गये रूप में जाँच करेगा तथा आवेदन का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित पर विचार करेगा:

- i. आवेदक पात्र है, और वह अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये दायित्वों को प्रभावी रूप से वहन कर सकता है;
- ii. आवेदक की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ़ है;
- iii. संभावित रूप से आवेदक को उपलब्ध होनेवाले व्यवसाय की मात्रा और उसके अर्जन की संभावनाएँ पर्याप्त होंगी;

iv. आवेदन में विनिर्दिष्ट किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणी के संबंध में यदि आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है तो सामान्य जनता के हितों के लिए उपयुक्त होगा;

(ख) उपर्युक्त एवं अनुसूची I के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण अपने विवेकानुसार विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय अथवा लायड्स इंडिया, जैसी स्थिति हो, के रूप में आवेदक को पंजीकृत करेगा जिसके लिए आवेदक उपयुक्त पाया जाता है तथा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर3, जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, में एक प्रमाणपत्र आवेदक को प्रदान करेगा। (*मास्टर परिपत्र*)

(ग) आवेदक एक निरंतर आधार पर “योग्य और उपयुक्त” (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड का अनुपालन करेगा।

6. अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें

आवेदकों के शाखा कार्यालयों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करते समय प्राधिकरण निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करेगा:

1. आवेदक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के निदेशक मंडल अथवा आवेदक के प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, के संकल्प की एक विधिवत् प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. शाखा कार्यालय जोखिमों का अंकन (अंडरराइटिंग) और दावों का निपटान करने में सक्षम होगा।
बशर्ते कि लायड्स इंडिया के मामले में, लायड्स इंडिया लायड्स के सदस्यों की ओर से जोखिमों का अंकन करने में तथा दावों का निपटान करने में सक्षम होगा।
3. न्यूनतम समनुदेशित पूँजी का निवेश आईआरडीएआई निवेश विनियम, 2016 (एकीकृत वित्त और बीमांकिक) विनियम, 20xx के अनुसार किया जाएगा।
4. आवेदक व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों को संभालने में भारतीय जोखिम-अंकनकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वायदा करेगा।
5. आवेदक का शाखा कार्यालय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 तथा ऐसे कार्यालय के परिचालनों को नियंत्रित करनेवाले प्रचलित किसी भी अन्य कानून की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

6. शाखा कार्यालय अपने परिचालनों में बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदि का अनुसरण करेगा।

7. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी का पंजीकरण

1. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ स्थापित करने के लिए मानदंड

लायड्स अथवा भारतीय कंपनियों के प्रबंध एजेंट जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं, निम्नलिखित मानदंडों के साथ एक सेवा कंपनी स्थापित करेंगे:

(क) उक्त सेवा कंपनी पाँच लाख रुपये की प्रदत्त पूँजी से युक्त एक निजी अथवा सरकारी सीमित कंपनी हो और भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत हो।

(ख) संस्था के बहिर्नियमों (एमओए) के मुख्य उद्देश्य उन व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) को जिसका/जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, समस्त तकनीकी, जोखिम-अंकन, बाध्यकारी जोखिम, दावों का निपटान, प्रशासनिक, लेखांकन, निवेश, विनियामक और अन्य सहायता उपलब्ध कराना होगा। *बशर्ते* कि प्राधिकरण ऐसे मुख्य उद्देश्य विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें सेवा कंपनी के एमओए/ एओए में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) सेवा कंपनी उस व्यवसायसंघ की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, समस्त सांविधिक और विनियामक फाइलिंग और अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगी।

(घ) सेवा कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड के अधीन होगा तथा प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

(ङ) कोई भी अन्य अपेक्षा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

2. पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

(क) लायड्स अथवा भारतीय कंपनियों के प्रबंध एजेंट जो लायड्स इंडिया में पुनर्बीमा का जोखिम-अंकन करना चाहते हैं, समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट तरीके से और फार्म में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। (*मास्टर परिपत्र*)

(ख) सेवा कंपनी पंजीकरण के लिए अपने आवेदन में उन व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) के नाम निर्दिष्ट करेगी जिनका प्रतिनिधित्व वह लायड्स इंडिया में करती है अथवा नहीं करती।

(ग) लायड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी के पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ लागू करों के साथ एक लाख रुपये का शुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

3. लायड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी द्वारा भरे जानेवाले वचन-पत्र

(क) सेवा कंपनी पंजीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ लायड्स सेवा कंपनी वचन-पत्र भी भरेगी जिसके द्वारा सेवा कंपनी लायड्स तथा स्थानीय विधिक, राजकोषीय, कराधान और

विनियामक प्राधिकरणों के सभी संबंधित नियमों और अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेगी।

(ख) सेवा कंपनी पंजीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ लायड्स का कवरहोल्डर निर्णय पत्र भी भरेगा जो निम्नलिखित सहित, प्रस्तावित सेवा कंपनी के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराता है।

- i. सेवा कंपनी को प्रदत्त जोखिम-अंकन और दावों के प्राधिकार का स्तर,
- ii. सेवा कंपनी के लिए व्यवसाय की कार्यनीति,
- iii. सेवा कंपनी में परिचालनरत प्रधान स्टाफ से संबंधित विवरण,
- iv. वित्तीय सूचना,
- v. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति का विवरण.
- vi. सेवा कंपनी के द्वारा जोखिम-अंकन किये जानेवाले व्यवसाय की श्रेणियाँ,
- vii. पंजीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा कंपनी के द्वारा अपनाया जानेवाला दृष्टिकोण,
- viii. प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन लायड्स द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अन्य अपेक्षाएँ।

(ग) उक्त निर्णय-पत्र भरने के बाद, सेवा कंपनी लायड्स के न्यूनतम मानदंडों के आधार पर लायड्स सेवा कंपनी का स्व-निर्धारण निष्पादित करेगी जिसमें ऐसी सूचना शामिल है जैसे सेवा कंपनी के संबंध में की गई कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा।

(घ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य अपेक्षा।

4. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों को नियंत्रित करनेवाली शर्तें

(क) लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ लायड्स इंडिया के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगी।

(ख) सेवा कंपनियाँ सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार करेंगी, जो एक ऐसी संविदा है जो संबंधित व्यवसायसंघों के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है।

(ग) 'सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार' के अधीन लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:

- i. लायड्स के सदस्यों की ओर से बाध्यकारी बीमे और उनमें किये गये संशोधन;

- ii. लायड्स के सदस्यों की ओर से पुनर्बीमाकृत से प्रीमियम प्राप्त करने और धनवापसी का भुगतान करने तथा पुनर्बीमाकृत को आगे भेजने से पहले दावों की धनराशि प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कार्य करना;
- iii. व्ययों का प्रबंध और नियंत्रण;
- iv. जोखिम-अंकन स्टाफ का नियोजन;
- v. कुशल तरीके से पुनर्बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए लायड्स इंडिया के द्वारा उसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(घ) सेवा कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:

- i. बीमा की संविदाओं के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों, पृष्ठांकन और ऐसे अन्य दस्तावेज जारी करना जैसा कि जोखिम-अंकनकर्ताओं के द्वारा लिखित में सहमति व्यक्त करते हुए कवर के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं;
- ii. जोखिम-अंकनकर्ताओं की ओर से प्रीमियम और वापसी प्रीमियम संगृहीत करना और उनका प्रसंस्करण करना;
- iii. यदि प्राधिकृत की गई हो, तो दावों को संभालना और/या दावों का निपटान करना;
- iv. जिन व्यवसायसंघों का वह प्रतिनिधित्व करती है उनके नाम का प्रयोग प्रमुख रूप से करेगी तथा यह कि वे केवल व्यवसायसंघों की क्षमता में अंकित कर रही हैं और स्वयं बीमाकर्ताओं के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं;
- v. स्थानीय प्रतिभा का कौशल-विकास और क्षमता निर्माण;
- vi. भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में बनाने के लिए प्रयास करना;
- vii. फेमा और अन्य स्थानीय कानूनों का अनुपालन करना;
- viii. लायड्स इंडिया के द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना;
- ix. अधिनियम, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करना;
- x. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन।

8. लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघों का पंजीकरण:

1. पंजीकरण की प्रक्रिया

लायड्स के व्यवसायसंघ जो लायड्स इंडिया में सेवा कंपनी के द्वारा पुनर्बीमा का जोखिम-अंकन करना चाहते हैं, सेवा कंपनी के साथ प्राधिकरण को लायड्स इंडिया के माध्यम से विनिर्दिष्ट फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करेंगे (मास्टर परिपत्र)।

2. लायड्स इंडिया में व्यवसायसंघ के रूप में परिचालन करने के लिए अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें

(क) प्रत्येक व्यवसायसंघ सेवा कंपनी के माध्यम से हर समय पाँच करोड़ रुपये की समनुदेशित पूँजी का अनुरक्षण करेगा।

(ख) व्यवसायसंघ, सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार करेंगे, जो एक ऐसी संविदा है जो संबंधित व्यवसायसंघों के लायड्स के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है।

(ग) लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघ सुनिश्चित करेंगे कि:

i. पुनर्बीमा व्यवसाय का प्रबंध सेवा कंपनी के माध्यम से लायड्स इंडिया के सदस्यों की ओर से किया जाएगा;

ii. व्यवसायसंघों के सदस्य पुनर्बीमाकृत के साथ संविदा करेंगे;

iii. प्रीमियमों की वसूली व्यवसायसंघ के स्तर पर की जाएगी तथा उन्हें उस व्यवसायसंघ के लिए धारित प्रीमियम न्यास में रखा जाएगा;

iv. जावक पुनर्बीमा का स्थानन और वसूलियों का संग्रहण व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

v. व्यवसाय के संचालन के साथ संबद्ध व्यय व्यवसायसंघ के स्तर पर किये जाएँगे और उनका भुगतान व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

vi. देयताओं का भुगतान व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

vii. आधिक्य (सरप्लस) का निर्धारण व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

viii. नकदी की माँग व्यवसायसंघ के स्तर पर की जाएगी; तथा

ix. कोई अन्य अपेक्षा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

9. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार:

(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष लायड्स इंडिया की सिफारिश सहित, सभी प्रस्तुतीकरणों को हिसाब में लेने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र संयुक्त रूप से लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी और उस/उन व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों), जिसका/जिनका वह प्रतिनिधित्व करती है, को ऐसे फार्म में जारी करेगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा (मास्टर परिपत्र)।

2. पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

10. लायड्स इंडिया में जोखिम-अंकन करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण

1. लायड्स इंडिया का व्यवसायसंघ प्राधिकरण को सेवा कंपनियों के साथ लायड्स इंडिया के माध्यम से समय-समय पर विनिर्दिष्ट फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करेगा (*मास्टर परिपत्र*)।
2. किसी व्यवसायसंघ और/या लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए प्रक्रिया, आवेदन पर विचार तथा उनके संचालन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें इन विनियमों के विनियम 7 और 8 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगी।

11. लायड्स इंडिया के सदस्य:

1. लायड्स इंडिया, लायड्स के उन सदस्यों के बारे में जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं, विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्राधिकरण को सूचित करेगा (*मास्टर परिपत्र*)।
2. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों के माध्यम से जोखिम-अंकन करनेवाले लायड्स के सदस्यों की सूची वार्षिक आधार पर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय III

पंजीकरण के लिए माँग-पत्र और आवेदन का अस्वीकरण

12. पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र (आर1) का अस्वीकरण

1. जहाँ प्राधिकरण की राय है कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षाएँ आवेदक के द्वारा पूरी नहीं की गई हैं, वहाँ प्राधिकरण आवेदक को अपनी बात कहने के लिए एक अवसर देने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।
2. उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा ऐसे अस्वीकरण से तीस दिन के अंदर आवेदक को सूचित किया जाएगा जिसमें वे कारण बताये जाएँगे जिनपर पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार किया गया है।

13. पंजीकरण हेतु आवेदन (आर2) का अस्वीकरण

1. जहाँ प्राधिकरण की राय है कि पंजीकरण हेतु आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और विनिर्दिष्ट रूप में विनियमों अथवा अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करना वांछनीय नहीं है, वहाँ प्राधिकरण एक आदेश के द्वारा उक्त आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

2. उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा ऐसे अस्वीकरण के तीस दिन के अंदर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा और उसमें वह कारण बताया जाएगा जिसपर आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

14. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी के लिए आवेदन का अस्वीकरण अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण:

1. जहाँ एक सेवा कंपनी स्थापित करने के लिए किसी भारतीय कंपनी का आवेदन लायड्स इंडिया के द्वारा अस्वीकार किया गया है, वहाँ उक्त भारतीय कंपनी प्राधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकती है।

2. प्राधिकरण उक्त अपील पर विचार कर सकता है तथा मामले के सभी तथ्यों को हिसाब में लेने के बाद आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। यदि लायड्स इंडिया की किसी सेवा कंपनी का आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किया गया है, वहाँ ऐसा आदेश प्राधिकरण द्वारा ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर लिखित में वह कारण बताते हुए जिसपर आवेदन को अस्वीकार किया गया है, सूचित किया जाएगा।

3. जहाँ प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने के लिए लायड्स इंडिया के द्वारा माँग की जाती है, वहाँ प्रतिसंहरण के लिए कारण देते हुए लायड्स इंडिया की सिफारिश के साथ इसका अनुरोध प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

4. प्राधिकरण उक्त अनुरोध पर विचार कर सकता है तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

5. यदि लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा आदेश प्राधिकरण के द्वारा ऐसे प्रतिसंहरण से तीस दिन के अंदर उसमें वे कारण बताते हुए जिनपर आवेदन का प्रतिसंहरण किया गया है, लिखित में सूचित किया जाएगा।

अध्याय IV

पंजीकरण से संबंधित अन्य विषय

15. अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना:

प्राधिकरण पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए संगत विषयों के संबंध में अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आवेदक से अपेक्षा कर सकता है।

16. परिचालनों के प्रारंभ के लिए समय-सीमा:

1. आवेदक जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह पुनर्बीमा व्यवसाय जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से बारह महीने के अंदर प्रारंभ करेगा। यदि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के अंदर व्यवसाय प्रारंभ नहीं करता, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक बारह महीने के अंदर उक्त बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उक्त समय-सीमा समाप्त होने से पहले प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए असमर्थता हेतु कारण स्पष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन के द्वारा प्राधिकरण से समय-विस्तार की माँग कर सकता है।

2. प्राधिकरण का अध्यक्ष आवेदक के द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय-सीमा में विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त करने पर उसकी जाँच करेगा तथा उक्त अनुरोध को अस्वीकार करने अथवा समय-वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिखित में सूचित करेगा।

3. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से अठारह महीने से अधिक समय का कोई भी विस्तार प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।

17. पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम:

प्राधिकरण लागू करों सहित पचास हजार रुपये का शुल्क प्राप्त करने के बाद उस संस्था को पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है, जो अधिनियम की धारा 3(7) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करती है।

18. पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण अथवा निरसन

1. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा की मूल संस्था अथवा लायड्स/लायड्स इंडिया पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. सेवा कंपनी और/या व्यवसायसंघ पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए लायड्स इंडिया के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

3. प्राधिकरण वर्तमान संविदाओं की सर्विसिंग सहित, मामले के सभी तथ्यों को हिसाब में लेने के बाद अभ्यर्पण के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है तथा आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

4. कोई भी संस्था उसे प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर सकती है तथा निम्नलिखित स्थितियों में उसे निरस्त करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकती है:

(क) संस्था पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद, निर्धारित समय के अंदर अपने परिचालन प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) संस्था का व्यवसाय अथवा व्यवसाय की श्रेणी प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी अन्य संस्था को अंतरित की गई है अथवा उसके व्यवसाय के साथ समामेलित की गई है;

(ग) संस्था का व्यवसाय अथवा व्यवसाय की श्रेणी प्राधिकरण का इस आशय का आदेश जारी करने के बाद किसी व्यक्ति को अंतरित की गई है;

(घ) संस्था भारत में अपने परिचालन समाप्त करने का निर्णय स्वैच्छिक रूप से करती है।

5. संस्था उक्त अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करेगी:

(क) अभ्यर्पण के लिए आवेदन: अभ्यर्पण के लिए कारण सहित, पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करने के लिए एक औपचारिक आवेदन।

(ख) कारपोरेट संकल्प: अभ्यर्पण के लिए प्राधिकृत करनेवाले बोर्ड संकल्पों अथवा अन्य कारपोरेट दस्तावेजों की प्रतियाँ।

(ग) वित्तीय विवरण: आवेदन की तारीख से नौ महीने से अनधिक पुराने तुलन-पत्र और आय विवरण सहित, लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

(घ) अध्यर्पकों के बकाया दायित्व: बकाया दायित्वों की एक रिपोर्ट, जैसे अध्यर्पकों के प्रति बकाया दावे अथवा अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताएँ।

(ङ) पुनर्बीमा करार: पुनर्बीमाकृत पालिसियों और शर्तों संबंधी विवरण सहित, प्रचलन में स्थित सभी पुनर्बीमा करारों की प्रतियाँ।

(च) दावा अभिलेख: बकाया अथवा लंबित दावों से संबंधित सूचना, तथा यह विवरण कि उनका प्रबंध कैसे किया जाएगा।

(छ) निवेश: पुनर्बीमाकर्ता द्वारा धारित निवेशों के बारे में विस्तृत सूचना।

(ज) सांविधिक फाइलिंग: किन्हीं सांविधिक फाइलिंगों की प्रतियाँ जिन्हें प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण अथवा परिचालनों के समापन के लिए करने की आवश्यकता है।

(झ) अनुपालन अभिलेख: आवेदन की तारीख को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार विनियामक अपेक्षाओं के विनियामक अनुपालन की स्थिति।

(ञ) संपर्क की सूचना: मुख्य कार्मिकों की अद्यतन की गई संपर्क की सूचना जो अभ्यर्पण पूरा होने तक अनुपालनों की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ट) परित्याग (रन आफ़) योजना: यह विवरण देते हुए एक योजना कि संस्था अभ्यर्पण के बाद किन्हीं बचे हुए असमाप्त दायित्वों को कैसे संभालेगी और परित्याग किये जा रहे शेष व्यवसाय का प्रबंध कैसे करेगी।

(ठ) सूचना देने की योजना: इस बारे में विवरण कि अभ्यर्पण के बारे में अपने ग्राहकों और हितधारकों को सूचना देने के लिए संस्था कैसे योजना बनाती है।

(ड) ऐसी अन्य सूचना जो प्राधिकरण अंतिम अनुमोदन प्रदान करने तक समय-समय पर अपेक्षा कर सकता है।

6. पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन पर विचार: किसी संस्था से पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण आवेदक को नया व्यवसाय स्वीकार करना समाप्त करने के लिए निदेश दे सकता है तथा आवश्यक समझी जानेवाली अन्य शर्तें निर्धारित कर सकता है।

19. समामेलन, विलय और अधिग्रहण

1. आवेदक कंपनियों की मूल संस्था के द्वारा नीचे निर्दिष्ट किये गये रूप में संबंधित सूचना से युक्त अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) व्यवसाय करनेवाले मूल पक्षकारों की संरचना।

(ख) लेनदेन करने के लिए कार्रवाई का अनुमोदन करनेवाला व्यवसायरत मूल पक्षकारों का बोर्ड संकल्प जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय करनेवाले संबंधित पक्षकारों की संरचना में परिवर्तन होगा।

(ग) लेनदेन करनेवाले पक्षकारों के हितधारकों के हितों का संरक्षण करने के संबंध में विवरण।

(घ) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन।

(ड) प्रस्ताव के संबंध में अन्य विनियामक अनुमोदनों का विवरण।

i. अन्य भारतीय/विदेशी विनियमनकर्ताओं को प्रस्तुत किये गये आवेदन जब भी उन्हें अन्य विनियमनकर्ताओं के पास फाइल किया गया हो

ii. इस संबंध में अन्य विनियमनकर्ताओं द्वारा प्रदत्त अनुमोदन

(च) आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता मार्जिन को सम्मिलित करते हुए लेनदेन करनेवाले पक्षकारों के भारत में पुनर्बीमा व्यवसायों के परिचालनों के मूल्यांकन से संबंधित बीमांकिक रिपोर्ट (रिपोर्ट)।

(छ) पुनर्बीमा कार्यनीतियों तथा पुनर्बीमा आस्तियों के संरक्षण और अनुरक्षण का विवरण।

(ज) मुख्य संविदाओं के विलय और अधिग्रहण का निहितार्थ।

(झ) ऐसी अन्य सूचना जिसकी अपेक्षा प्राधिकरण अंतिम अनुमोदन प्रदान करने तक समय-समय पर कर सकता है।

2. आशय की सूचना

संस्थाएँ जिनकी मूल कंपनियों ने विलय अथवा समामेलन करने का निर्णय कर लिया है, मूल संस्था के स्वदेश के विनियमनकर्ता को इस आशय का प्रस्तुतीकरण करने से पन्द्रह दिन के अंदर ऐसे आशय की सूचना प्रस्तुत करेंगी।

3. समामेलन, विलय और अधिग्रहण को केवल प्राधिकरण के अंतिम अनुमोदन के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण की राय में-

- (i) विलय की गई संस्था का उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन न्यूनतम विनियामक स्तर से निम्नतर होगा अथवा
- (ii) उक्त गतिविधि किन्हीं अन्य प्रयोज्य विधियों और विनियमों का अनुपालन नहीं करती अथवा
- (iii) उक्त गतिविधि हितधारकों के सर्वोत्तम हितों में नहीं है अथवा
- (iv) बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सहायक नहीं है।

अध्याय V

शुल्क का भुगतान

20. आवेदन का प्रसंस्करण शुल्क

पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में आवेदन के प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

21. वार्षिक शुल्क

1. इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान किये गये विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक प्राधिकरण को लागू करों के साथ ऐसे वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा जो विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2. उक्त वार्षिक शुल्क निम्नलिखित से उच्चतर होगा

(क) दस लाख रुपये, अथवा

(ख) अधिकतम दस करोड़ रुपये के अधीन जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में स्वीकृत विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग।

3. यदि विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क जमा नहीं करती, तो प्राधिकरण निम्नानुसार अर्थदंड के रूप में एक अतिरिक्त शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता है:

(क) वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान विनिर्दिष्ट तारीख से 30 दिन के अंदर किया जाता है;

(ख) वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है।

4. जहाँ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इन विनियमों के अनुसार वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करती, वहाँ ऐसी संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है।

22. शुल्क के भुगतान की पद्धति

प्रत्येक आवेदक/ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा आवश्यक शुल्क का भुगतान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में करेगी। उक्त शुल्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से विप्रेषित किया जाएगा तथा प्राधिकरण को ऐसे लेनदेन के लिए एक यूटीआर संख्या दी जाएगी।

अध्याय VI

चूक की स्थिति में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

23. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का आदेश जारी करने की पद्धति

किसी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ इसके नीचे विनिर्दिष्ट रूप में क्रियाविधि के अनुसार जाँच का आयोजन नहीं किया जाता:

24. निलंबन अथवा निरसन से पहले जाँच आयोजित करने की विधि

1. विनियम 23 के अंतर्गत जाँच करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

2. उक्त जाँच अधिकारी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के संबंधित शाखा कार्यालय (संस्था) के व्यवसाय के प्रधान स्थान पर जाँच करने की नोटिस जारी करेगा।

3. उक्त संस्था ऐसी नोटिस प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन के अंदर जाँच अधिकारी को दस्तावेजी अथवा अन्य प्रकार के साक्ष्य, जिसपर वह निर्भर है, अथवा प्राधिकरण द्वारा जिसकी अपेक्षा की गई है, की प्रतियों के साथ एक उत्तर प्रस्तुत कर सकता है।
 4. जाँच अधिकारी उक्त संस्था को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देगा जिससे वह ऊपर उप-विनियम (3) के अधीन प्रस्तुत किये गये अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुतीकरण कर सके।
 5. यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जाँच अधिकारी अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्राधिकरण से कह सकता है।
 6. उक्त संस्था एक प्राधिकृत कर्मचारी के माध्यम से अथवा अपने द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकती है।
बशर्त कि जाँच में उक्त संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी अधिवक्ता (एडवोकेट) को अनुमति नहीं दी जाएगी;
परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ उप-विनियम 5 के अधीन जहाँ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में प्राधिकरण द्वारा किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया गया हो, वहाँ किसी अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुति करना उक्त संस्था के लिए विधिमान्य होगा।
- जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और उक्त संस्था के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों का ध्यान रखने के बाद प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और विनियामक कार्रवाई करने की सिफारिश उसके लिए औचित्य-प्रतिपादन के साथ करेगा।

25. कारण बताओ नोटिस और आदेश:

1. जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकरण उस पर विचार करेगा तथा यदि आवश्यक समझा जाता है, तो एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
2. संबंधित संस्था उक्त कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से इक्सीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगी।
3. प्राधिकरण उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद उक्त उत्तर प्राप्त करने के उपरांत यथाशीघ्र ऐसे आदेश पारित करेगा जो उसके द्वारा उपयुक्त समझे जाएँगे। यदि नोटिस देने के 90 दिन के अंदर संबंधित संस्था के द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो प्राधिकरण मामले में एकपक्षीय तौर पर निर्णय लेने के लिए अग्रसर होगा।

4. यहाँ इसके ऊपर उप-विनियम 3 के अधीन पारित किये गये आदेश में उस आदेश में लगाये गये अर्थदंड अथवा की जानेवाली किसी अन्य कार्रवाई के लिए औचित्य-स्थापन सहित उसके लिए कारण दिये जाएँगे।

5. प्राधिकरण यहाँ ऊपर उप-विनियम 4 के अधीन पारित किये गये आदेश की प्रति संबंधित संस्था को प्रेषित करेगा।

26. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन अथवा निरसन:

1. अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाये जानेवाले किसी भी अर्थदंड अथवा की जानेवाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लायड्स इंडिया सहित एफआरबी का पंजीकरण अथवा व्यवसायसंघ और/या सेवा कंपनी जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, जो -

(क) अपने व्यवसाय का संचालन पालिसीधारकों अथवा अध्यक्ष बीमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से करती है;

(ख) अपने पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करती;

(ग) अधिनियम के अंतर्गत अथवा प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षित रूप में आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करती;

(घ) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी जाँच में सहयोग नहीं करती;

(ङ) पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में छल-कपट करने में लिप्त रहती है;

(च) अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त रहती है;

(छ) किसी भी समय अपनी देयताओं की राशि की तुलना में अपनी आस्ति के मूल्य के आधिक्य के विषय में अधिनियम की धारा 64वीए के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती;

(ज) परिसमापन में है अथवा दिवालिया के रूप में उसका न्यायनिर्णयन किया गया है;

(झ) प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को व्यवसाय अथवा व्यवसाय की किसी श्रेणी का अंतरण किया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता को उसका अंतरण किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय के साथ उसका समामेलन किया गया है;

(ञ) अधिनियम की किसी भी अपेक्षा अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा किसी विनियम अथवा उसके अधीन जारी किये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में चूक करती है, अथवा अधिनियम की किसी अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए कार्य करती है;

(ट) बीमा व्यवसाय अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करती है;

(ठ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी निदेश अथवा आदेश का अनुपालन करने में चूक करती है;

(ड) अपने स्वदेश में उसपर प्रतिबंध लगाया गया है/उसे रोक दिया गया है/उसे निलंबित किया गया है;

(ढ) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक करती है, अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करती है;

(ण) वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करती;

(त) फिलहाल प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत अपराध करने के लिए दोषी ठहराई गई है; को एक आदेश से प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणी के लिए निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए, ऊपर उल्लिखित प्रकार की बारंबार चूक करने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है।

2. प्राधिकरण इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर सकता है। संबंधित संस्था को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पंजीकरण के निलंबन का कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण इन विनियमों के अधीन जारी किये जानेवाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की सेवा जारी रखने के लिए संबंधित संस्था को निदेश दे सकता है।

27. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का प्रभाव:

1. उक्त प्रमाणपत्र के निलंबन की तारीख को और उस तारीख से, संबंधित संस्था नया पुनर्बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगी। तथापि, उक्त संस्था सभी वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अंतर्गत सेवा करना और अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगी।

2. उक्त प्रमाणपत्र के निरसन की तारीख को और उस तारीख से, संबंधित संस्था पुनर्बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगी। किसी संस्था के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरसन यह निर्दिष्ट करेगा कि उसके सभी पुनर्बीमा परिचालन समाप्त हो गये हैं।

28. पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन: यदि प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि उक्त संस्था ने आगे पुनर्बीमा व्यवसाय का कुशल संचालन करने के लिए सभी शर्तों का अनुपालन किया है,

तो वह उक्त निलंबन का प्रतिसंहरण कर सकता है और उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन कर सकता है।

29. आदेश का प्रकाशन: विनियम 26 के अधीन पारित प्राधिकरण का आदेश उक्त संस्था के द्वारा उस क्षेत्र में कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाया जाएगा, जहाँ संबंधित संस्था के व्यवसाय का प्रधान स्थान है।

अध्याय VII

परिचालन संबंधी विषय

30. परिचालनगत विषय: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा जिसे एक शाखा कार्यालय के रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, यह सुनिश्चित करेगी कि हर समय निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए तथा अपने बोर्ड अथवा अपने प्रबंधन की कार्यकारी समिति (बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रत्यायुक्त), जैसी स्थिति हो, का आवश्यक अनुमोदन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

1. भौगोलिक विस्तार: विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं का शाखा कार्यालय भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय एवं भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय अपनी निर्धारित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार करेगा।

सेवा कंपनी के मामले में, लायड्स इंडिया का व्यवसायसंघ अपनी सेवा कंपनी के माध्यम से भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय एवं भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय अपनी निर्धारित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार करेगा।

2. समनुदेशित पूँजी: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा की समनुदेशित पूँजी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, पदच्युति, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा। प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध विनिर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 'योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करेगा। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी) का विवरण उनके बायोडेटा के साथ पंजीकरण

की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बाद होनेवाला कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों (केएमपी) में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम-अंकनकर्ता, मुख्य अनुपालन अधिकारी तथा कोई अन्य केएमपी जो उसके द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया जाता है, शामिल होंगे।

4. अतिरिक्त कार्यालय खोलना: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कारणों, संगठन के संसाधनों, रिपोर्टिंग, तथा मुख्य प्रशासनिक कार्यालय द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण का विवरण देते हुए, प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से देश के विभिन्न भागों में कार्यालय खोल सकती है। प्राधिकरण मामले के गुण-दोष के आधार पर अनुमति दे सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है।

बशर्ते कि, लायड्स इंडिया और उसके घटकों के मामले में, लायड्स इंडिया एक बाजार होते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त बाजार और लायड्स इंडिया के घटक पुनर्बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए लायड्स इंडिया के कार्यालय स्थान में रखे जाएँगे।

परन्तु आगे यह भी शर्त होगी कि, प्राधिकरण सेवा कंपनियों के द्वारा अतिरिक्त कार्यालय खोलने के संबंध में उपबंध विनिर्दिष्ट कर सकता है।

5. बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग): विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं का शाखा कार्यालय प्रमुख कार्यकलाप जैसे जोखिम-अंकन, निवेश, दावों का निपटान और विनियामक अनुपालन अपने पास रखेगा; तथा वह बैंक-आफिस सर्विसिंग, आईटी, लेखा, विपणन, मानव संसाधन, प्रशासन और प्रचार जैसे कार्यों का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) कर सकता है। प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना किसी भी कार्य का बाह्यस्रोतीकरण नहीं किया जाएगा। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा कार्यकलापों के बाह्यस्रोतीकरण के संबंध में प्राधिकरण उपबंध विनिर्दिष्ट कर सकता है।

6. लेखांकन: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (एकीकृत वित्त और बीमांकिक) विनियम, 20XX में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से लेखा-विवरण सहित वित्तीय विवरणियाँ प्रस्तुत करेगी।

सेवा कंपनी के मामले में, उक्त सेवा कंपनी समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (एकीकृत वित्त और बीमांकिक) विनियम, 20XX के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से व्यवसायसंघों के लेखा-विवरण सहित वित्तीय विवरणियाँ तैयार करेगी और लायड्स इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

7. शोधन-क्षमता मार्जिन: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा आईआरडीएआई (एकीकृत वित्त और बीमांकिक) विनियम, 20XX में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता मार्जिन की अपेक्षाओं के विवरण तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।

सेवा कंपनी के मामले में, लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (एकीकृत वित्त और बीमांकिक) विनियम, 20XX के जरिये प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से व्यवसायसंघों की आस्तियों, देयताओं, और शोधन-क्षमता मार्जिन की अपेक्षाओं के विवरण तैयार करेगी और लायड्स इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

8. निधियों का प्रत्यावर्तन: - विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों की निधि का कोई भी प्रत्यावर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से ही होगा। प्राधिकरण कोई भी अनुमोदन प्रदान करने से पहले समस्त संबंधित सूचना प्राप्त करेगा और इस बात से संतुष्ट होगा कि शाखा कार्यालय की आस्तियाँ उनकी देयताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, निधियों का प्रत्यायोजन यथाप्रयोज्य रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक / फेमा की अन्य अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

प्राधिकरण विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के द्वारा निधियों के प्रत्यावर्तन के संबंध में निदेश जारी कर सकता है। (मास्टर परिपत्र)

9. 'प्रत्यायोजित प्राधिकार': विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ और जाँच लागू करेगी कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ किया जाए तथा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भारत में उसके परिचालनों पर न पड़े। आवेदक स्थानीय परिचालनगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियों और प्रत्यायोजित प्राधिकार की पर्याप्तता के संबंध में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा में अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा भी करेगा। स्थानीय अधिकारियों को दिये गये प्राधिकार के प्रत्यायोजन में कमी के मामले में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा को इसके लिए कारण भी विनिर्दिष्ट करना होगा। ऐसी समीक्षा की एक प्रति वार्षिक तौर पर पिछले वर्ष और चालू वर्ष में विद्यमान मानदंडों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएगी।

सेवा कंपनी के मामले में, उक्त सेवा कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ और जाँच लागू करेगी कि वे जिन व्यवसायसंघों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ किया जाए तथा भारत में सेवा कंपनी के परिचालन के संबंध में इसका कोई प्रतिकूल परिणाम न हो। लायड्स और लायड्स इंडिया भी स्थानीय परिचालनगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियों की पर्याप्तता के संबंध में प्रत्येक सेवा कंपनी और व्यवसायसंघ स्तर पर अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा करेंगे। ऐसी समीक्षा की एक प्रति वार्षिक तौर पर पिछले वर्ष और चालू वर्ष में विद्यमान मानदंडों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएगी।

10. अभिशासन और पर्यवेक्षण: आवेदक और/या पुनर्बीमाकर्ता की शाखा प्रभावी अभिशासन और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने और उनकी निरंतर व्यवहार्यता की निगरानी करने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक समीक्षाओं की प्रणाली सहित, नियंत्रण संबंधी सभी विवरणियों की समीक्षा करेगी। शाखा के द्वारा प्रस्तुत किये गये और बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

के समक्ष रखे गये निरीक्षण / लेखा-परीक्षा / संवीक्षा और अनुपालन के निष्कर्षों के सारांश की प्रति भी यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण: शंका-निवारण के प्रयोजन के लिए, सेवा कंपनियों को छोड़कर पुनर्बीमाकर्ता की अन्य शाखा के लिए यहाँ इस विनियम में बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के संदर्भ से कार्यकारी समिति को प्रेषण (रिफरेंस) अभिप्रेत होगा। इसके अतिरिक्त, सेवा कंपनियों के लिए, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को प्रेषण (रिफरेंस) से सेवा कंपनी के बोर्ड को ही प्रेषण (रिफरेंस) अभिप्रेत होगा।

11. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ:

(क) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा मूल संस्था की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) में 5% से अधिक ह्रास की सूचना तत्काल प्राधिकरण को देगी।

(ख) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा और व्यवसायसंघों और/या सेवा कंपनियों के मामले में लायड्स इंडिया, जैसी स्थिति हो, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(ग) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा प्राधिकरण को निर्धारित रूप में निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

i. वित्तीय रिपोर्टिंग

ii. बीमांकिक रिपोर्टिंग

iii. व्यावसायिक रिपोर्टिंग

iv. ग्रेड में अवनति (डाउनग्रेडिंग) की रिपोर्टिंग: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा किसी भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग के ग्रेड में किसी भी कमी की सूचना प्राधिकरण को संबंधित दस्तावेजों के साथ तत्काल देगी।

12. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा 8 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अथवा वर्तमान कानूनी अपेक्षाओं, यदि कोई हों, के अनुसार स्वरूप, महत्व, व्यावसायिक आवश्यकताओं और अन्य प्रयोज्य कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में, अभिलेखों का अनुरक्षण करने और पुराने अभिलेखों को नष्ट करने के संबंध में अपने प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित उपयुक्त नीति लागू करेगी।

13. इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपबंधों के अतिरिक्त, प्राधिकरण विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए अलग कारपोरेट अभिशासन संबंधी अपेक्षाएँ विनिर्दिष्ट कर सकता है।

14. निवेश:

(क) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के अनुसार अपनी आस्तियों का निवेश करेगी और उन्हें निवेशित रूप में रखेगी।

(ख) प्राधिकरण लायड्स इंडिया और उसके व्यवसायसंघों के व्यवसाय की संरचना के आधार पर लायड्स इंडिया और उसके व्यवसायसंघों के द्वारा किये जानेवाले निवेश के संबंध में उपबंध विनिर्दिष्ट करेगा।

15. अन्य विषय: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा अपने आवेदक के संबंध में उसके स्वदेश के विनियमनकर्ता के द्वारा की गई किसी भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना पूरे विवरण और लगाये गये अर्थदंड अथवा प्रशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, तथा इसकी पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों सहित, प्राधिकरण को तत्काल देगी।

बशर्ते कि लायड्स इंडिया के मामले में, वह लायड्स अथवा उसके व्यवसायसंघ, प्रबंध एजेंट अथवा सेवा कंपनी के विरुद्ध मूल देश के विनियमनकर्ता के द्वारा की गई किसी भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना पूरे विवरण और अर्थदंड, यदि कोई लगाया गया हो, लागू की गई किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई तथा इसकी पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए लायड्स के द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों सहित, प्राधिकरण को तत्काल देगी।

अध्याय VIII

विविध

31. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील:

प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के वर्तमान लागू उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील कर सकता है। तथापि, किसी संस्था के द्वारा भुगतान किया गया कोई भी शुल्क एसएटी के समक्ष ऐसी अपील के अनुसरण में वापस नहीं किया जाएगा।

32. प्राधिकरण की शक्तियाँ:

1. प्राधिकरण के पास विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा से किसी भी दस्तावेज, अभिलेख अथवा संदेश की माँग करने, उसका निरीक्षण करने अथवा जाँच करने का अधिकार होगा।
2. उपर्युक्त के बावजूद, जहाँ प्राधिकरण की राय है कि भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के परिचालन भारतीय बाजार के हित में नहीं हैं, वहाँ अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है। प्राधिकरण के अनुमोदन से खोली गई विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से ही बंद की जाएगी।

3. प्राधिकरण पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी विषयों पर अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण, जैसा कि आवश्यक हो, माँग सकता है तथा भारतीय बीमाकर्ता को प्राधिकरण के पास फाइल किये गये पुनर्बीमा कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निदेश दे सकता है।

33. कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति:

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

34. निरसन और बचत:

1. ये विनियम इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निम्नलिखित विनियमों को निरस्त करेंगे:

(क) आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016

(ख) आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015

2. जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि इन विनियमों में निहित कोई भी बात इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले की गई संविदाओं को अमान्य ठहराएगी।

अनुसूची I: योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों का निर्धारण

प्राधिकरण आवेदक के आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित सहित, संगत समझे जानेवाले विषयों को हिसाब में लेगा:

- i. आवेदक कारोबार अथवा व्यवसाय के जिन क्षेत्रों में लगा हुआ है, उनमें आवेदक के व्यवहार और कार्यनिष्पादन का पिछला सामान्य रिकार्ड;
- ii. आवेदक के प्रबंधन में निदेशकों और व्यक्तियों के व्यवहार और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;
- iii. पुनर्बीमा व्यवसाय प्रभावी ढंग से करने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा की प्रस्तावित बुनियादी संरचना, जैसी स्थिति हो;
- iv. प्रवर्तकों, शेयरधारकों और आवेदक का पूँजी विन्यास;
- v. पाँच अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रस्तावित व्यवसाय योजना;

- vi. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा को अंतरित किया जानेवाला प्रस्तावित जोखिम-अंकन कौशल, जैसी स्थिति हो; तथा
- vii. अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक विषय।